अध्याय 5

पुलिस मोबिलिटी में सुधार

अध्याय 5

पुलिस मोबिलिटी में सुधार

5.1 प्रस्तावना

सर्विलांस वाहन

मोबिलिटी को घटनास्थल पर किसी पुलिस बल की इकाई के पहुंचने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। पुलिस की शीघ्र प्रतिक्रिया, पुलिस की कार्यक्षमता का विश्वसनीय संकेतक होने के अलावा बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद, कानून एवं व्यवस्था को लागू करने एवं सार्वजनिक एवं निजी सम्पति की सुरक्षा करती है। बीपीआरएण्डडी ने पुलिस स्टेशन, जिला सशस्त्र रिजर्व एवं सशस्त्र पुलिस वाहिनी के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के क्रियाशील वाहनों जैसे भारी/मध्यम/हल्के वाहनों एवं मोटर साइकिल के विभिन्न स्तर निर्धारित किये हैं।

5.2 वाहनों की उपलब्धता

सिविल पुलिसः बीपीआरएण्डडी की संस्तुति के अनुसार, राज्य के 75 जनपदों के लिये सिविल पुलिस को चार प्रकार के 11,426 वाहनों (भारी वाहन, मध्यम वाहन, हल्के वाहन एवं मोटर साइकिल) की आवश्यकता थी। आवश्यक वाहनों की संख्या जनपदों में पुलिस स्टेशनों की संख्या पर निर्भर होती है। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बीपीआरएण्डडी की संस्तुति ***(परिशिष्ट 5.1)*** की तुलना में नागरिक पुलिस के पास केवल 8,288 (73 प्रतिशत) वाहन उपलब्ध थे। इस प्रकार, सिविल पुलिस के लिये 27 प्रतिशत वाहनों की कमी थी एवं मध्यम वाहन जो गश्त के लिये उपयोग में लाये जाते हैं, में अत्याधिक 68 प्रतिशत की कमी थी। वाहनों की कमी सिविल पुलिस की मोबिलिटी विशेषकर उनके गश्त कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जो राज्य में कानून एवं व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

पेट्रोलिंग वाहन

प्रान्तीय सशस्त्र दल (पीएसी): बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार, राज्य में अपनी भूमिका एवं कार्यो के प्रभावी निर्वहन के लिये पीएसी को चार प्रकार के 2,112 वाहनों (भारी वाहन, मध्यम वाहन, हल्के वाहन एवं मोटर साइकिल) की आवश्कता थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पीएसी के पास वर्ष 2015–16 में केवल 1,502 (71 प्रतिशत) वाहन ***(परिशिष्ट 5.2)*** उपलब्ध थे। इस प्रकार, पीएसी में कुल मिलाकर 29 प्रतिशत वाहनों की कमी थी एवं मध्यम वाहन की कमी अत्याधिक 75 प्रतिशत की थी। पीएसी के पास इतने अधिक वाहनों की कमी किसी आकस्मिकता में उनकी मोबिलिटी को निश्चित ही प्रतिकूल प्रभावित करेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार (फरवरी 2017) किया गया एवं बताया गया कि बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार जिला पुलिस/पीएसी के लिये वाहनों का क्रय किया गया है तथा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के बाद एमपीएफ योजना के लिये बजट का प्रावधान किया गया है।

5.3 जनपदों में वाहनों की अतार्किक तैनाती

जिला पुलिस को, पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार वाहनों का आवंटन किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनपदों में वाहनों की तैनाती जनपदों में कमी के तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित नहीं थी जैसे कि 43 जनपदों में 11 से 46 प्रतिशत वाहनों की कमी थी जबकि 32 जनपदों में अधिकता अथवा कमी का अन्तर अत्यन्त कम था जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में विवरण दिया गया है।

5.4 पुलिस स्टेशनों पर वाहनों की कम तैनाती

क्षेत्रीय इकाईयों में वाहनों का प्राधिकरण बीपीआरएण्डडी द्वारा मानकीकृत था जैसे शहरी पुलिस स्टेशन में तीन हल्के वाहन एवं ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दो हल्के वाहन। नमूना–जांच जनपदों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वाहनों की तैनाती बीपीआरएण्डडी की संस्तुतियों के अनुसार नहीं की गयी थी। 15 नमूना–जांच जनपदों में से 10 जनपदों के ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में हल्के वाहनों की कम तैनाती थी जिसमें से चार जनपदों में विकट कमी थी जैसे ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में झांसी और सीतापुर (50 प्रतिशत), मथुरा (55 प्रतिशत) और कुशीनगर (63 प्रतिशत), 12 जनपदों के शहरी पुलिस स्टेशनों में हल्के वाहनों की कम तैनाती थी। इन जनपदों में से 8 जनपदों में हल्के वाहनों की कम तैनाती 50 प्रतिशत से अधिक (कुशीनगर, देवरिया, प्रतापगढ़ 50 प्रतिशत, शाहजहांपुर 55 प्रतिशत, मेरठ 57 प्रतिशत, मथुरा 64 प्रतिशत, सीतापुर 66 प्रतिशत एवं झांसी 67 प्रतिशत) थी जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में विवरण दिया गया है। वाहनों की खरीद के लिये बजट उपलब्ध होने के बावजूद, विभाग द्वारा एमपीएफ योजना का ₹ 4.24 करोड़ एवं राज्य बजट का ₹ 16.81 करोड़ समर्पित कर दिया गया जिसकी चर्चा अगले प्रस्तर में की गयी है।

पुलिस थाना पर स्थित हल्के वाहन

राज्य में कुल मिलाकर 27 प्रतिशत वाहनों की कमी थी एवं इस प्रकार जनपदों में अत्यन्त कमी इस बात का संकेत थी कि जनपदों में बिना किसी तर्कसंगत विश्लेषण एवं राज्य के कुछ जनपदों से अन्य जनपदों में विचलन कर वाहनों की तैनाती की गयी थी। यह मोबिलिटी को और इस प्रकार इन जनपदों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

5.5 वाहनों का क्रय न करना तथा बजट का समर्पण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में एमपीएफ योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों के क्रय के लिये ₹ 72.34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा भी इस अवधि में वाहनों के क्रय के लिये ₹ 216.79 करोड़ की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गयी थी। यद्यपि, विभाग बजट का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका एवं ₹ 21.05 करोड़ (एमपीएफ योजना का ₹ 4.24 करोड़ एवं राज्य बजट का ₹ 16.81 करोड़) व्यय नहीं किया गया ***(परिशिष्ट 5.5)***। बजट का पूर्ण उपयोग करने में विफलता के कारण विभाग स्वीकृत 6,539 वाहनों के सापेक्ष केवल 6,367 वाहनों का क्रय कर सका ***(परिशिष्ट 5.6)***।

5.6 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के सापेक्ष वाहनों का अनियमित क्रय

सरकारी लेखा नियमों एवं उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल के अनुसार, ''प्रतिस्थापन व्यय शासकीय लेखा के राजस्व व्यय शीर्ष के नामे डाले जाने योग्य है''। लेखापरीक्षा जांच से प्रकाश में आया कि 2011–16 की अवधि में पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 153.89 करोड़ का व्यय निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये किये गये थे और विधान मण्डल को व्यय की गलत रिपोर्टिंग का कारण बने ***(परिशिष्ट 5.7)***।

उप्र शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार (फरवरी 2017) किया गया और कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये पुर्नविनियोग के द्वारा बजट में प्रावधान किया जा रहा है तथा वाहनों की कमी पर नियन्त्रण पाने के लिये वाहनों का क्रय किया गया था।

5.7 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष वाहनों का क्रय न करना

शासनादेश (2009) द्वारा कहा गया कि जनपद/इकाई/पीएसी कार्प्स, के निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष जब एक नया वाहन क्रय किया जाय तो उसे उसी इकाई को आवंटित करना चाहिये।

पुलिस मुख्यालय द्वारा 2015–16 की अवधि में जिला/इकाईयों पर निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष 1,792 वाहनों की खरीद के लिये राज्य सरकार को एक प्रस्ताव (जनवरी 2016) दिया गया। यद्यपि शासन द्वारा मात्र 190 वाहनों के क्रय के लिये स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार, वर्ष 2015–16 की अवधि में कुल निष्प्रयोज्य वाहनों का मात्र 10 प्रतिशत प्रतिस्थापित किये गये थे।

अतः कुल निष्प्रयोज्य वाहनों का केवल 10 प्रतिशत 2015–16 के दौरान प्रतिस्थापित किये गये थे एवं 2015–16 के अन्त में 1,847 निष्प्रयोज्य वाहन (मार्च 2016 के 245 निष्प्रयोज्य वाहनों सहित) अभी भी प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

5.7.1 अति विशिष्ट महानुभावों के लिये वाहनों का क्रय

पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर (सितम्बर 2013) शासन द्वारा मुख्यमन्त्री की सुरक्षा के लिये 11 जनपदों के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष 10 बुलेटप्रुफ तथा 08 सामान्य टाटा सफारी वाहनों के क्रय के लिये ₹ 5.84 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (13 सितम्बर 2013) प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा 31 जनवरी 2014 को मुख्यमन्त्री की सुरक्षा के लिये ₹ 1.62 करोड़ प्रति वाहन की लागत से दो लैण्ड क्रूजर बुलेटप्रुफ वाहनों के क्रय के लिये ₹ 3.24 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः 5 मार्च 2014 को दो लैण्ड क्रूजर के लिये पूर्व स्वीकृत ₹ 3.24 करोड़ को समायोजित करते हुऐ प्रति वाहन ₹ 3.45 करोड़ की लागत की दो मर्सिडीज मॉडल एम–गार्ड बुलेटप्रुफ वाहनों के क्रय के लिये ₹ 6.90 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्नुसार माह मार्च 2015 तक भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार, शासन द्वारा अति विशिष्ट महानुभावों के लिये पूर्व स्वीकृत लैण्ड क्रुजर के स्थान पर अधिक मंहगी एवं विलासितापूर्ण वाहनों के क्रय का निर्णय किये जाने से अतिरिक्त परिहार्य व्यय ₹ 3.66 करोड़ किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमन्त्री के द्वारा बुलेटप्रुफ टाटा सफारी एवं बुलेटप्रुफ महिन्द्रा स्कार्पियों का प्रयोग किया जा रहा है एवं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा एम्बेसडर कार प्रयोग की जा रही है तथा आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री को बुलेटप्रुफ स्कार्पियो एवं बुलेटप्रुफ एम्बेसडर/टाटा सुमो वाहन प्रदत्त है।

उप्र शासन द्वारा उत्तर (फरवरी 2017) में कहा गया कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये वाहनों की आवश्कता के अनुसार वाहन क्रय किये गये थे तथा वाहनों के रखरखाव के लिये सभी सम्बन्धितों को निर्देश जारी कर दिये गये थे। वाहनों को सम्बन्धित पुलिस इकाईयों/जनपद/पीएसी को आवंटित कर दिया गया जिसके लिये क्रय किये गये थे। वाहनों को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये अस्थायी आधार पर अन्य इकाइयों से सम्बद्ध किया गया था।

उप्र शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा 11 जनपदों के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष 10 बुलेटप्रूफ टाटा सफारी एवं 08 सामान्य टाटा सफारी वाहन का क्रय मुख्यमन्त्री की सुरक्षा के लिये किया था।

5.8 विभाग द्वारा वाहनों की आयु पूरी होने के बाद उनका उपयोग किया जाना

शासन द्वारा पुलिस विभाग में वाहनों के उपयोग के लिये अक्टुबर 1986 में निम्नानुसार मानक निर्धारित किये गये थे:

सारणी 5.1: मानकों के अनुसार वाहन की सेवा आयु

क्र0 सं0	वाहन का विवरण	वाहन की आयु
1.	भारी वाहन	4.5 लाख किलोमीटर या 15 वर्ष
2.	मध्यम वाहन	2.25 लाख किलोमीटर या 12 वर्ष
3.	हल्के वाहन	1.75 लाख किलोमीटर या 10 वर्ष
4.	मोटर साईकिल 3.5 एचपी एवं अधिक	1.0 लाख किलोमीटर या 5 वर्ष
5.	मोटर साईकिल 3.5 एचपी तक	60,000 किलोमीटर या 5 वर्ष

(**स्रोतः** पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

नमूना–जांच के 15 जनपदों के अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किये गये 13 प्रतिशत से 70 प्रतिशत वाहन (देवरियाः 41 प्रतिशत, कुशीनगरः 47 प्रतिशत, झांसीः 49 प्रतिशत एवं सीतापुरः 70 प्रतिशत) ऐसे थे जो शासन द्वारा निर्धारित सेवा आयु पूरी कर चुके थे। 3,113 वाहनों में से 955 वाहनों ने निर्धारित आयु पूर्ण कर ली थी लेकिन विभाग द्वारा अभी भी उन्हें उपयोग में लाया जा रहा था क्योंकि ये वाहन बदले नहीं गये थे। इससे पुलिस सेवा का प्रतिपादन एवं मोबिलिटी प्रभावित हुई थी। जनपद–वार उपलब्ध वाहन एवं वे वाहन जो अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके हैं को ***परिशिष्ट 5.8*** में दिखाया गया है।

5.9 वाहनों का विशिष्ट महानुभावों को उपलब्ध कराना एवं पीओएल पर व्यय किया जाना

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उप्र शासन को सूचित (26 अगस्त 2014) किया गया कि पुलिस बल में वाहनों की कमी थी एवं पुलिस विभाग के प्रयोग के लिये वाहनों का क्रय करके, उन्हें माननीय मन्त्रियों को आवंटित करने से विभाग में वाहनों

की स्थायी कमी हो जायेगी एवं सम्बन्धित जनपदों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा व्यक्त किये गये उक्त तथ्यों के होते हुए भी पुलिस मुख्यालय द्वारा स्टाफ कार के रूप में प्रयोग हेतु ₹ 3.08 करोड़ की लागत से 56 वाहनों (मारूती जिप्सी) का क्रय आदेश (दिसम्बर 2016) निर्गत किया गया था तथा इन्हें विभिन्न विभागों के माननीय मन्त्रियों को सम्बन्धित पुलिस कार्यालयों के माध्यम से आवंटित किया गया था। अग्रेतर यह पाया गया कि वाहनों, जो कि पुलिस विभाग से भिन्न माननीय मन्त्रियों के लिये चल रहे थे, के पीओएल के व्यय को, वहन किये जाने के लिये एक आदेश निर्गत (जून 2015) किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 15 नमूना/जांच के जनपदों में से 12 जनपदों[6], में एक से 316 वाहन अति विशिष्ट महानुभावों से सम्बद्ध थे तथा विशिष्ट महानुभावों की ड्यूटी के लिये लगाये गये इन वाहनों के पीओएल पर ₹ 0.25 करोड़ से ₹ 3.21 करोड़ व्यय किये गये थे ***(परिशिष्ट 5.9)***।

माननीय मन्त्रियों को जनपदों के भ्रमण के दौरान एस्कार्ट वाहनों को उपलब्ध कराना जनपद पुलिस का उत्तरदायित्व था। यद्यपि, शासन स्तर पर जिला पुलिस के वाहनों को स्थायी रूप से माननीय मन्त्रियों के साथ सम्बद्ध किया जाना अनियमित था विशेषकर तब जब अधिकांश जनपदों में वाहनों की अत्यन्त कमी थी। यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यवाहियों/कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

5.10 मोटर वाहन कार्यशाला पर अलाभकारी व्यय

उप्र पुलिस मोटर वाहन कार्यशाला (पीएमटी) की स्थापना सीतापुर जनपद में 1947 में, आरक्षित चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, चालन की उनकी योग्यता का परीक्षण करने, उनके चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने के साथ ही साथ पुलिस वाहनों की प्रथम स्तर की मरम्मत एवं अनुरक्षण करने के लिये, की गयी थी। सीतापुर की मुख्य कार्यशाला के साथ ही लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा एवं वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यशालाऐं स्थापित की गयी थीं। वर्ष 2011–16 की अवधि में पुलिस मोटर वाहन कार्यशाला पर रखरखाव/मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या एवं कार्यशालाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

सारणी 5.2: पीएमटी में पर वाहनों की मरम्मत लागत

वर्ष	कुल मरम्मत किये गये वाहन	कार्यशालाओं पर किया गया कुल व्यय (₹ में)	प्रति वाहन व्यय (₹ में)
2009–10	990	509,84,291	51,499.20
2010–11	772	562,60,739	74,392.04
2011–12	703	674,27,843	95,914.32
2012–13	361	715,27,393	198,136.73
2013–14	355	731,47,737	206,052.67
2014–15	116	662,58,013	571,189.77
2015–16	244	999,95,963	409,819.52

(**स्रोतः** उप्र पुलिस मोटर कार्यशाला, सीतापुर)

यह पाया गया कि अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें) द्वारा पुलिस मुख्यालय से अनुरोध (नवम्बर 2014) किया गया था कि कर्मचारियों के वेतन लागत में वृद्धि एवं कार्यशाला (नये वाहनों के साथ पुराने मॉडल प्रतिस्थापित किये जाने से) में मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या में कमी होने के कारण अन्तिम सात वर्षो में प्रति इकाई

[6] इलाहाबाद, देवरिया, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, मुरादाबाद, मथुरा, मेरठ, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र।

मरम्मत की लागत में वृद्धि हो गयी है। मरम्मत की लागत बढ़ रही थी क्योंकि कार्यशाला को उच्चीकृत नहीं किया गया था तथा नये मॉडलों/पीढ़ी के वाहनों की मरम्मत में कर्मचारियों की विशेषज्ञता में कमी थी।

उप्र शासन ने अपने उत्तर (फरवरी 2017) में कहा कि उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त वर्तमान कार्यशाला की आवश्कता का परीक्षण एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिये निर्णय लिये गये थे।

उप्र शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यशाला पर मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या में कमी के कारण अन्तिम सात वर्षो में मरम्मत की प्रति इकाई लागत आठ गुना बढ़ गयी थी। पतन मुख्यतः कार्यशाला को उच्चीकृत किये जाने में विफलता एवं नये मॉडलों/पीढ़ी के वाहनों की मरम्मत में कर्मचारियों की विशेषज्ञता के अभाव के कारण है।

संस्तुतियाँ

- *बीपीआरएण्डडी के मानकों के अनुसार वाहनों का क्रय एवं सिविल पुलिस/पीएसी को उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा राज्य पुलिस की मोबिलिटी एवं कार्यवाहियों की कार्यक्षमता में सुधार के लिये प्राथमिकता के आधार पर वाहनों की कमी को न्यूनतम किया जाना चाहिये।*
- *पुलिस वाहनों का अन्य उपयोग हेतु विचलन नहीं किया जाना चाहिये।*
- *पुलिस मोटर वाहन कार्यशाला को बनाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जानी चाहिये।*